भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY ABDUL KALAM NOTARY (Central) Area KOTA (Raj.) GOVT. OF INDIA

BZ 645587

राजस्थान RAJASTHAN

AFFIDAVIT

29 MAR 2025 कोटा

1- I, **Dr. Parvez Khan** Son of Shri **Dr. Zafar Mohammed** and **Trustee** of the **R.M. Educational Trust** aged about 44 years, resident of H.No. 29, Behind Akashwani Colony, Nayapura, Kota I am the authorized signatory of the application made to the Western Regional Committee of the National Council for Teacher Education at Delhi seeking grant of recognition for conducting a course in Teacher Education titled I.T.E.P. course with intake of **1 Units -B.A. B.Ed. and 1 Units - B.Sc. B.Ed.**

2- That the **R.M. Educational Trust** is in possession of land as per the following description: -

2.1	Total Area of the land	10300.00 (in Sqr. Mtr.)
2.2	Total Built up Area	4287.17 (in Sqr. Mtr.)
2.3	Address:	Gram Devli Arab, Ujjwal Vihar, Baran Road, Kota
	Plot No:	-
	Khasra No:	30, 38/1, 39/1
	Village/Town/City:	Gram Devli Arab
	District:	Kota
	State:	Rajasthan
	Bounded by	
	North:	Road 30 Feet
	South:	Other land Khasra No. 30
	East:	Other Land Khasra No. 36, 38
	West:	Other Land Khasra No. 29

Identified By

Registered in the office of: Sub Registrar, Kota on 2013003386 Date: 01/03/2013

3. That the land is on ownership basis.
4. That the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the Competent Authority (UIT) to this effect has been obtained vide letter No. 1131 dated01/03/2013 and a copy thereof is enclosed.

ATTESTED
Abdul Kalam
19/06/2025
(ABDUL KALAM)
Notary (Central) KOTA (Raj.)

Trustee
R.M. Educational Trust
KOTA

6. That the said premises shall not be used for running any non-educational activity, other than the education programme.
7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the Institution for general public.
8. I do hereby swear that my declaration under Paras (1) to (7) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

NOTARY
ABDUL KALAM
NOTARY (Central)
KOTA (Raj.)
No. 23059
18-09-2029
INDIA

Trustee
R. M. Educational Trust
KOTA

Signature:
Name of the Applicant : Dr. Parvez Khan
Address: 29, Behind Akashwani Colony,
Nayapura, Kota
Tel : 7340067761
E-mail address : parvezcomplete@gmail.com
Website address : https://www.rmwttcollege.com/

Place : Kota

Date :17/06/2025

ATTESTED
Abdul Kalam
19/06/2025
(ABDUL KALAM)
Notary (Central), KOTA (Raj.)

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR - I, KOTA
KOTA-I
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2013003386	Dated	: 01/03/2013
Presenter Name	: DR ZAFAR MOHD	Face Value	: 244231
Presenter Address	: 29- BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA		
Document Type	: LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)		
Document S.No.	: 2013003488	Stamp Value	: 0

Ordinary Registration Fee	: 2450	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Surcharge on Stamp Duty	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		
		TOTAL	: 2750

Amount Rs. Two Thousand Seven Hundred Fifty only

Cashier

Sub Registrar, KOTA

नगर विकास न्यास, कोटा

संशोधित **प्रमाण पत्र**

क्रमांक :- 1131 दिनांक 1.3.2013

1. भूस्वामी का नाम : आर. एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा

2. पिता / पति का नाम : मैनेजिंग ट्रस्टी - डॉ. जफर मोहम्मद s/o रसूल मोहम्मद

3. भूखण्ड संख्या : खसरा सं. 30, 38/1, 39/1

4. योजना का नाम /ग्राम का नाम : ग्राम देवली अरब,

5. क्षेत्रफल : 12136.81 वर्ग गज

6 वार्षिक नगरीय कर की राशि : —

7 एक बारीय नगरीय कर की राशि : 83073/-

(कालम 6 से 10 गुणा राशि)

उपरोक्त राशि अक्षरे रुपये तिरासी हजार तिहत्तर रुपये मात्र

रसीद/चालान नम्बर 798/5/9/09 एवं 343/19/5/11 दिनांक एवं 5141/25/2/13 द्वारा जमा कराये गये।

अतः भू आवंटन की शर्त संख्या ....2 (ब) ....में अंकित अवधि को अवशेष अवधि के लिए

.... नगरीय कर के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

उपसचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी (उपसचिव)

नगर विकास न्यास कोटा

आज दिनांक 1 माह March सन् 2013 को 14:28 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री DR ZAFAR MOHD पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RASOOL MOHD.
उम्र 55 वर्ष, जाति MUSLIM व्यवसाय BUSINESS
निवासी 29- BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
(2013003488)
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 2013003386 दिनांक 01/03/2013
पंजीयन शुल्क रू0 2450 /-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300 /-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 /-
अन्य शुल्क रू0 0 /-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0 /-
कुल योग रू0 2750 /-

(2013003488) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-R. M. EDUCATIONAL TRUST TH MAN. TRUSTY.
DR ZAFAR MOHD/RASOOL MOHD.
Age:55, Caste-MUSLIM
Ocu.-BUSINESS
R/O-29- BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 244231 /- पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 244231 /--पूर्व में ——————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री S. P. PATAHAK
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री S. P. PATAHAK उम्र 61 वर्ष
जाति BRAHMIN व्यवसाय BUSINESS
निवासी STATION KOTA

2. श्री / श्रीमती / सुश्री RAM SWAROOP
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री PANNA LAL JI उम्र 32 वर्ष
जाति KHATEEK व्यवसाय PVT JOB
निवासी MALA PHATAK STATION KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013003488) उप पंजीयक, KOTA

आज दिनांक 01/03/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1157
में पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 2013002487 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2940
के पृष्ठ संख्या 231 से 236 पर
चस्पा किया गया।

(2013003488) उप पंजीयक, KOTA
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

नगर विकास न्यास, कोटा

भू-आवंटन पत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन

90(क)

क्रमांक : 113/ दिनांक 1/3/2013

(1) भूखण्ड धारी का नाम : आर. एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा
(2) पति/पिता का नाम : मैनेजिंग ट्रस्टी = डॉ. जफर मोहम्मद पुत्र श्री रसूल मोहम्मद
(3) पता : 29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा, कोटा
(4) भूखण्ड संख्या : ख.नं. 30, 38/1, व 39/1 (देवली अरब) क्षेत्रफल 12136.81 व.ग.
(5) योजना का नाम : आर. एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा
(6) सहकारी समिति का नाम :
(7) जोन संख्या : चतुर्थ

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय/वाणिज्यक उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्ते निम्न प्रकार होगी:-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है ।
2. यह भूखण्ड पर नियमानुसार नगरीय कर देय होगा जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5% 50% प्रति वर्ग गज है नगरीय कर की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. यदि भूखण्ड 500 वर्ग मी. क्षेत्र तक का है, तो उस पर निर्माण इस आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें साइट प्लान के अनुसार सेट बैंक छोड़ने होंगे एवं न्यास के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/ जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/ सरकारी ऋणदात्री संस्था/ एच॰डी॰एफ॰सी॰ अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान न्यास द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, राज्य सरकार/न्यास के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जा सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय /वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन वाणिज्यिक विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन आयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीज डीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

भूखण्ड कि लम्बाई× चौड़ाई

सामने (–) पीछे (–) क्षेत्रफल = 12136.81

साइड (–) (–) वर्ग गज वर्गगज

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य .... संलग्न साईट प्लान के अनुसार

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई ....

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा
प्राधिकृत अधिकारी (उपसचिव) नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक:-

दिनांक:

प्रतिलिपि : लेखा शाखा नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनार्थ एंव नगरीय कर रजिस्टर तुरंत तैयार करने हेतु।

"शैक्षणिक प्रयोजनार्थ"

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

"संशोधित पट्टा"

आवासीय/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजनार्थ के लिये भूमि पट्टा-विलेख

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 11.3/ 2013 कच्चा आवंटन पत्र संख्या 1131 सन .... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हे इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर ~~श्री/श्रीमति~~ आर. एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा ~~पुत्र/पत्नि~~ मैनेजिंग ट्रस्टी - डॉ जफर मोहम्मद पुत्र श्री रसूल मोहम्मद जाति — व्यवसाय .... निवासी 29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा, कोटा (राज.) कलर जेरोक्स

(जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होगें।) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपयें 2,44,231/- अक्षरे दो लाख चव्वालीस हजार दो सौ इक्तीस .... रूपये मात्र की रकम में नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदाकर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लिखित शर्तो और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेगें, के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है। जो .... – .... गृह निर्माण समिति की आर.एम. एजुकेशनल ट्रस्ट कोटा योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओ और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबन्धी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नालिखित तमाम व प्रत्येक अपवादो संरक्षणो, प्रतिबन्धो, वैध शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात -

1. उक्त भूखण्ड नगरीय कर के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।

2. ✗(अ) पट्टेदार नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबन्ध में नियमन दर .... रूपये प्रतिवर्ग गज की दर से कुल राशि .... रूपये की 2.5: की दर से नगरीयकर जमा करायेगा। निर्धारित तिथी तक जमा नही करने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम नगरीय कर जमा कराने पर नियमानुसार छूट भी देय होगी।

   ✓(ब) दस वर्ष की अग्रिम नगरीय कर एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 15/11/99 के अनुसार नगरीय कर आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 2,44,231/- रूपये की 2.5: प्रति वर्ष की दर से देय होगा।

3. नगरीय कर की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25: उत्तरोत्तर वद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथी में संगणित की जायेगी।

4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो नगरीय कर के कारण बाजिब हो, अदायगी करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल जारी किये गए प्रयोजनार्थ किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का आवंटन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पर 5(3) न. वि.वि./3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बेक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा न्यास के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7. यदि भूखण्ड 500 मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण न्यास से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवा कर कराना होगा।

उप पंजीयक प्रथम कोटा (राज.)

8. भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकेगा।

9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण न.वि. न्यास, कोटा के नियमो के अनुसार न्यास से करवाना होगा।

10. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतद्‌र्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति देगा।

11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :-(I) आन्तरिक विकास कार्यो की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्त्ता/कालोनाईजर की है। योजना तक बाहय विकास हेतु नगर विकास न्यास का स्वामित्व केवल बाहय विकास शुल्क के पेटे न्यास में जमा राशि तक ही सीमित होगा, शेष दायित्व कालोनाईजर का होगा।

(II) इस भूखण्ड की नियमन राशि 2,44,231/- रूपये की पंजीकश्त मूल्य राशि रू .... होती है अतएव स्टाम्प नं. .... स्टाम्प रू. .... संख्या .... बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

कोटा नगर क्षेत्र

ग्राम देवली अरब | पूर्व ...... - ...... पश्चिम ...... - ...... भूखण्ड संख्या एकल पट्टा

खसरा नं. 30, 38, 39 | उत्तर ...... - ...... दक्षिण ...... - ...... कुल क्षेत्रफल 12136.81

विस्तृत माप ...... संलग्न साइट प्लान के अनुसार वर्गगज

क्षेत्रफल 12136.81 वर्गगज | योजना/कालोनी का नाम आर. एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा

सीमाएं
पूर्व ख.नं. 36, 38
पश्चिम ख.नं. 29
उत्तर सड़क 30' व अन्य
दक्षिण ख.नं. 30

सरकार की ओर से

आज सन् 20 .... के .... माह के .... वें दिन ....
श्री .... सक्षम अधिकारी न.वि.न्यास, कोटा
ने निम्न की उपस्थिति में कोटा में हस्ताक्षर किये।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम जगदीश शर्मा
पिता/पति का नाम श्री बिहारी लाल शर्मा
व्यवसाय पत्रकार
निवास स्थान UIT, KOTA

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
व्यवसाय ....
निवास स्थान ....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक .... 20 .... को
निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ....(आवंटी)
द्वारा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा में हस्ताक्षर किये गयें

आवंटी के हस्ताक्षर

1. नाम श्री बशीर मोहम्मद
पिता/पति का नाम श्री गुल मोहम्मद
व्यवसाय ....
निवास स्थान श्रीपुरा, कोटा

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम श्री मोहम्मद अकरम
पिता/पति का नाम श्री अब्दुल जब्बीर
व्यवसाय ....
निवास स्थान मस्जिद के पास नयापुरा, कोटा

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक .... 20 .... को

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR - I, KOTA
KOTA-I
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2007005367 Dated : 10/10/2007
Presenter Name : GOPI CHAND Face Value : 4900000
Presenter Address : GRAM DEVLI ARAB TEH LADPURA KOTA
Document Type : SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
Claimant Name : R.M EDUCATIONAL TRUST KOTA TH MENEGING TRUSTY DR ZAFAR MOHD. 29 BEHIND AK
Document S.No. : 2007005679 Stamp Value : 85000

Ordinary Registration Fee	: 25000	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: [illegible]0	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: [illegible]	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 551190
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 576390

Amount Rs. Five Lakh Seventy Six Thousand Three Hundred Ninty only

Cashier

Sub Registrar, KOTA

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-GOPI CHAND/BALDEV JI
Age:60, Caste-DHAKAD
Ocu.-FARMER
R/O-GRAM DEVLI ARAB TEH LADPURA KOTA

(And Claimant)
1-R.M EDUCATIONAL TRUST KOTA TH MENEGING
TRUSTY DR ZAFAR MOHD/RASOOL MOHD
Age:49, Caste-MUSLIM
Ocu.-BUSINESS
R/O-29 BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 4900000 / — पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 4900000 / —पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री HAR KARAN SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री TAHEL SINGH उम्र 32 वर्ष
जाति JAT SIKH व्यवसाय FARMER
निवासी GRAM MANPURA TEH LADPURA KOTA

2. श्री / श्रीमती / सुश्री YOGESH KRISHAN DAS SARDA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री KRISHANDAS SARDA उम्र 28 वर्ष
जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी GUMANPURA KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2007005679) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 10 माह October सन् 2007 को 16:17 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GOPI CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALDEV JI
उम्र 60 वर्ष, जाति DHAKAD व्यवसाय FARMER
निवासी GRAM DEVLI ARAB TEH LADPURA KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
(2007005679)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

रसीद नं0 2007005367 दिनांक 10/10/2007
पंजीयन शुल्क रू0 25000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 551190/-
कुल योग रू0 576390/-

(2007005679) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

नगर निगम, कोटा

प्रारूप सं.–4

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22.23 और 24 (1) के अधीन)

बुक नं. 80070

रसीद

रसीद नं. 66

जोन.................वार्ड.................राजस्व निरीक्षक/कैशियर क्र. 1106 दिनांक 10-10-07

श्री आर. एम. ऐजुकेशनल ट्रस्ट कोटा पता नयापुरा, कोटा

खाता क्रमांक जरिये जफर मोहम्मद सेवा क्रमांक........

कर व शुल्क का नाम वर्ष	कुल देय राशि	वसुल राशि	चैक नं. बैंक का नाम व दिनांक
गृहकर भूमि किराया (लीज) दुकान किराया लाइसेंस शुल्क विज्ञापन शुल्क सरचार्ज ब्याज पेनल्टी जन्म/मृत्यू प्रमाण पत्र शुल्क केरिंग चार्जेज अन्य	अन्य सम्पत्ति हस्तान्तरण 97,87500/- 1/2 %	48,938/-	जमीन डेवलप करना कोटा
प्रगामी योग प्रतिदिन	कुल राशि रू. छूट रू. शुद्ध राशि रू.	48,938/-	

अक्षरे रू. अड़तालीस हजार नौ सौ अड़तीस रुपये नकद/चैक से प्राप्त हुए

नोट : 1. इस पावती पर राशि लेने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सील नहीं होने पर पावती वैध नहीं मानी जायेगी।

2. चैक राशि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही पावती वैध मानी जायेगी।

स्क्रोल का पेज नं./ सीरियल नं. ....

Singh

राजस्व निरीक्षक या कैशियर
के हस्ताक्षर एवं सील

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

00CC 156065

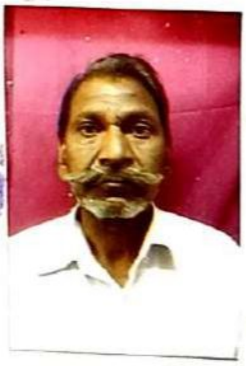

श्रीराम जी

विक्रय पत्र

मै कि गोपीचन्द आयु 60 वर्ष आत्मज श्री बल्देव जाति धाकड़ निवासी ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 का हूं।

जो कि मुझ मुकिर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 62 पुराना 143 खसरा संख्या 30 उत्तरी रकबा 0.87 हैक्टर नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली अरब, पटवार क्षेत्र देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 में स्थित है, जिसका मै मुकिर एक मात्र खातेदार व काबिज काश्तकार चला आ रहा हूं जिसको रहन, बैय आदि करने का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

गोपीचन्द
हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

उप पंजीयक प्रथम, कोटा

-3 OCT 2007
राजस्थान
कोटा

00CC 156066

//2//

यह कि मुझ मुकिर को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण मैने अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 30 उत्तरी रकबा 0.87 हैक्टर नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली अरब, पटवार क्षेत्र देवली अरब, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा राज0 का बेचान बकीमत मुबलिग 49,00,000/-रूपये अक्षरे उन्चास लाख रूपये के प्रतिफल स्वरूप **आर.एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा जर्ये मेनेजिंग ट्रस्टी डॉ. जफर मोहम्मद आत्मज श्री रसूल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 29 आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा कोटा राज0** वालो को कर दिया है और समस्त विक्रय प्रतिफल राशि निम्न प्रकार से केता से प्राप्त कर ली हैः-

राशि	चेक नम्बर	दिनांक	बैंक
10,00,000/-रू.	349101	10/10/2007	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10,00,000/-रू.	349102	20/10/2007	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10,00,000/-रू.	349103	10/11/2007	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
10,00,000/-रू.	349104	10/12/2007	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
9,00,000/-रू.	349105	10/01/2008	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
49,00,000/-रू.			

गोपीचन्द
हस्ताक्षर विकेता

हस्ताक्षर केता

उप पंजीयक प्र.न., कोटा

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000
00BB 109338

- 5 OCT 2007

//3//

यह कि इस प्रकार समस्त विक्रय प्रतिफल राशि 49,00,000/-रुपये केता से प्राप्त कर कब्जा मौके पर वास्तविक रूप से सम्पूर्ण आराजी पर केता को संभला दिया है। आज से इस विक्रय की गई आराजी बाबत समस्त हक हकूक, हक काश्त, हक रास्ता व हक आबपाशी व हक खातेदारी जो मुझे खातेदार की हैसियत से प्राप्त थे, आज से समस्त अधिकार हक काश्त आदि अधिकार केता स्वयं को प्राप्त होंगे। आज से मेरा व मेरे वारिसान का कोई भी वास्ता किसी प्रकार का इस बेचान की गई आराजी से नही रहा है, अब इस आराजी का पूर्ण उपयोग व उपभोग केता स्वंय करेंगे तथा केता द्वारा भविष्य में इस आराजी के हक काश्त आदि अधिकारो का पूर्ण मालिकाना उपयोग करने बाबत मै अथवा मेरा कोई वारिस या उत्तराधिकारी कोई आपत्ती उज्र एतराज प्रस्तुत करेगा तो उसकी पूर्ण जवाब देही व हर किस्मी खर्चे का भार मेरे जिम्मे रहेगा और यदि भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी द्वारा कोई आपत्ति उज्र एतराज प्रस्तुत करने के कारण अथवा मेरे खातेदारी अधिकारो की कमी के कारण यह आराजी केता के कब्जे काश्त से निकल जावे तो केता को अधिकार होगा कि समस्त जर्रे बैय मय हर्जा खर्चा मेरी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवे जिसमें मुझे व मेरे वारिसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

गोपीचन्द
हस्ताक्षर विकेता

हस्ताक्षर केता

उप पंजीयक प्रथम, कोटा

15000रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000रू.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 109339

9 OCT 2007

//4//

यह कि यह आराजी आज से पूर्व किसी अन्य स्थान पर रहन व बैय, दान या वसीयत आदि की हुई नही है और हर प्रकार के भार से मुक्त है, यदि इस पर कोई भी भार किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी किसी बैंक या संस्था का बकाया निकला या कर्ता पिलाई आदि का बकाया निकला तो उसकी आज तक की देनदारी की जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह कि इस आराजी बाबत कोई मुकदमा या कार्यवाही किसी न्यायालय मे जेरकार नही है न ही कोई स्थगन आदेश ही जारी हो रहा है यानि आराजी हर प्रकार के कानूनी विवादो से मुक्त है।

यह कि क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा कि इस विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई आराजी खसरा संख्या 30 उत्तरी रकबा 0.87 हैक्टर का खाता राजस्व अभिलेख मे बिना मुझे सुचित किये अपने नाम से दर्ज करा लेवे, इसमे मेरे सहयोग की आवश्यकता हुई तो मै क्रेता को पूर्ण सहयोग करने के लिये पूर्णतया पाबन्द रहूंगा।

गोवीचन्द

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

उप पंजीयक प्रथम, कोटा

15000रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000रू.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 109318

03 OCT 2007

//5//

यह कि उपरोक्त आराजी मौके पर सिंचित है जो मुख्य सड़क पर स्थित नही है मुख्य सड़क से 1/2 किलोमीटर के अन्दर स्थित है तथा आबादी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रय पत्र आज समस्त विक्रय प्रतिफल राशि 49,00,000/-रूपये क्रेता से जर्ये पांच चेक प्राप्त कर व कब्जा मौके पर विक्रय की गई आराजी पर क्रेता को संभला कर आज अपनी स्वेच्छा व सदबुद्धि बिना दबाव तहरीर कर पंजीयन करा दिया जो कि सनद रहे वक्त पर काम आवे।

यह कि विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 20,000/-रूपये के दो, 15,000/-रूपये के तीन कुल किता 5 कीमती 85,000/-रूपये पर तहरीर है तहरीर तारीख दस्तावेज 10/10/2007 ई.

गोपीचन्द

साक्षी ___ हस्ताक्षर विक्रेता

साक्षी ___ हस्ताक्षर क्रेता

प्रारूपकार :-राजेन्द्र कुमार अग्रवाल

एडवोकेट कोटा राज0

उप पंजीयक प्रथम, कोटा

आज दिनांक 21 माह January सन् 2010 को 13:53 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH UJJAWAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GULAB SINGH
उम्र 35 वर्ष, जाति CHARAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी DADABADI KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
(2010000435)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

रसीद नं0 2010000421 दिनांक 21/01/2010
पंजीयन शुल्क रू0 18480/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 2400/-
कुल योग रू0 21080/-

(2010000435) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-RAJESH UJJAWAL/GULAB SINGH
Age:35, Caste-CHARAN
Ocu.-BUSINESS
R/O-DADABADI KOTA

(And Claimant)
1-R.M EDUCATION TRUST TH M.TRUSTY DR.
ZAFAR MOHD/RASUL MOHD
Age:51, Caste-MUSLIM
Ocu.-BUSINESS
R/O-29 BEHIND AKASHWANI NAYAPURA KOTA

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशि रू0 500000 / — पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे से रू0 500000 / —पूर्व में ——————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री FIDA HUSSAIN
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री KAMRUDDIN उम्र 32 वर्ष
जाति MUSLIM व्यवसाय P.JOB
निवासी RANGPUR ROAD KOTA JN KOTA

2. श्री / श्रीमती / सुश्री S. P PATHAK
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री उम्र 55 वर्ष
जाति व्यवसाय DEED WRITER
निवासी KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2010000435) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

0JCC 196325

08 JAN 2010

कोटा

:: विक्रय – पत्र ::

मैं कि :– राजेश उज्जवल आयु 35 वर्ष आत्मज श्री गुलाब सिंह उज्जवल जाति चारण निवासी दादाबाड़ी कोटा राज0 का हूँ।

जो कि मुझ मुकिर के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी पुराना खाता संख्या 223 जिसका नया खाता संख्या 251 खसरा संख्या 37 की रकबा 0.4200 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम लगानी 13.44 रूपये, खसरा संख्या 38 की रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम लगानी 20.80 रूपये, खसरा संख्या 39 की रकबा 2.1500 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम लगानी 68.80 रूपये एवं खसरा संख्या 40 की रकबा 0.5800 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम लगानी 18.56 रूपये कुल किता 4 जुमला रकबा 3.8000 हैक्टर वाके ग्राम देवली अरब पटवार मण्डल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की आराजीयात का मैं मुकिर ही एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार चला आ रहा हूँ। उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजीयात के हक काश्त आदि के अधिकार को मुझको रहन, बैय, दान, वसीयत आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

हस्ताक्षर क्रेता– **उप पंजीयक प्रथम** हस्ताक्षर विक्रेता–

कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

0JCC 196373

15 JAN 2010

यह कि मुझ मुकिर को रूपयों की आवश्यकता होने से मैंने मेरे कब्जे काश्त एवं खाते के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से खसरा संख्या 38 की रकबा 0.6500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.1350 हैक्टर एवं खसरा संख्या 39 की रकबा 2.1500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.0250 हैक्टर यानि कि दोनों खसरा नम्बरान में से कुल आराजी रकबा 0.1600 हैक्टर (दक्षिणी साईड में पूर्व–पश्चिम के मध्य की) वाके ग्राम देवली अरब पटवार मण्डल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0, कि जिसकी चतुर्सीमायें नीचे अंकित की गयी हैं, के हक काश्त आदि के अधिकार को आर.एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, कोटा राज0 जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. जफर मोहम्मद आयु 51 वर्ष आत्मज श्री रसूल मोहम्मद जी जाति मुसलमान निवासी 29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा, कोटा राज0 को बकीमत 5,00,000/– रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये में विक्रय करने का इकरार कर कीमत की सम्पूर्ण राशि 5,00,000/– रूपये मुझ मुकिर ने क्रेता ट्रस्ट से प्राप्त कर कब्जा रूबरू गवाहान उक्त खसरा नम्बरान की भाग आराजीयात पर मौके पर क्रेता ट्रस्ट को सम्भला दिया है। अब क्रेता ट्रस्ट से उक्त खसरा नम्बरान की भाग आराजीयात के बावत कोई राशि लेना शेष नही रहा है।

यह कि उपरोक्त बेचान की गयी खसरा नम्बरान की भाग आराजीयात के बावत आज दिनांक तक जो कुछ भी हक हकूक, दाखली खारजी, हक काश्त, हक रास्ता, हक आवपाशी, हक लगानी आदि के अधिकार मुझ मुकिर को प्राप्त थे, अब वे सभी हक हकूक, हक काश्त आदि के अधिकार क्रेता ट्रस्ट को प्राप्त होंगे। अब

हस्ताक्षर क्रेता– उप पंजीयक प्रथम कोटा (राज.) हस्ताक्षर विक्रेता–

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

15000रु.

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000

भारत INDIA

00BB 108215

कोषाधिकारी
06 JAN 2010
राजस्थान
कोटा

मुझ मुकिर अथवा मेरे वारिसान का उक्त बेचान की गयी भाग आराजीयात से किसी प्रकार का कोई वास्ता अथवा हित एवं अधिकार शेष नहीं रहा है ।

यह कि उपरोक्त बेचान की गयी भाग आराजीयात के सम्बन्ध में मुझ मुकिर के उत्तराधिकारियों ने हक उज्र बतला कर क्रेता ट्रस्ट से किसी प्रकार का कोई विवाद किया तो वह इस विक्रय पत्र के आधार पर गलत, असत्य एवं बेअसर माना जावेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मुझ मुकिर का होगा। यदि मुझ मुकिर के उत्तराधिकारियों अथवा अन्य किसी के दावा, झगडा करने अथवा मेरे खातेदारी अधिकार की कमी के कारण उपरोक्त बेचान की गयी भाग आराजीयात अथवा इसका कोई भाग क्रेता ट्रस्ट के कब्जे से निकल जावे तो जर्रे बैय की सम्पूर्ण राशि मय हर्जे खर्चे के क्रेता ट्रस्ट मुझ मुकिर की जात एवं जायदाद से वसूल करने की पूर्ण अधिकारी होंगी, जिसमें मुझ मुकिर अथवा मेरे उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का कोई उज्र या एतराज नही होगा ।

यह कि उपरोक्त बेचान की गयी भाग आराजीयात पूर्व में अन्य जगह पर रहन, बैय, दान, वसीयत आदि नहीं हो रही है तथा न ही किसी बैंक, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था अथवा अन्य दीगर जगह पर बंधक है, यानि कि उपरोक्त भाग आराजीयात हर प्रकार से भार मुक्त हैं। आज दिनांक तक उक्त भाग आराजीयात के सम्बन्ध में कडता, लगान, पिलाई अथवा अन्य कोई राशि देय हुयी तो उसकी अदायगी का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं मुझ मुकिर का होगा। उक्त भाग

हस्ताक्षर क्रेता–   उप पंजीयक प्रथम कोटा (राज.)   हस्ताक्षर विक्रेता–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

887173

कोषाधिकारी 06 JAN 2010 कोटा

आराजीयात के सम्बन्ध में कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में जेरकार नहीं है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा उक्त भाग आराजीयात पर निषेधाज्ञा ही जारी हो रही है ।

यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 38 की रकबा 0.6500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.1350 हैक्टर एवं खसरा संख्या 39 की रकबा 2.1500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.0250 हैक्टर यानि कि दोनों खसरा नम्बरान में से कुल आराजी रकबा 0.1600 हैक्टर वाके ग्राम देवली अरब पटवार मण्डल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 को इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता ट्रस्ट नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड्स में अपने खाते दर्ज करवा कर इन्तकाल प्रमाणित करवा सकेंगी, जिसमें मुझ मुकिर अथवा मेरे वारिसान को किसी प्रकार का कोई उज्र या एतराज नहीं होगा ।

यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 38 की रकबा 0.6500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.1350 हैक्टर एवं खसरा संख्या 39 की रकबा 2.1500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.0250 हैक्टर यानि कि दोनों खसरा नम्बरान में से कुल आराजी रकबा 0.1600 हैक्टर वाके ग्राम देवली अरब पटवार मण्डल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 में स्थित है। उक्त भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। उक्त आराजीयात मुख्य रोड से करीब 1 कि.मी. की दूरी पर

हस्ताक्षर क्रेता– हस्ताक्षर विक्रेता–

उप पंजीयक प्रथम कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 600669

:: 5 ::

स्थित है । इस प्रकार से उक्त भाग आराजीयात का बेचान केवल मात्र 5,00,000/- रुपये में ही किया गया है ।

अतः यह दस्तावेज विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास स्वस्थ चित्त बिना जोर दवाब के तहरीर कर दिया जो कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे । खर्चा रजिस्ट्री स्टाम्प, फीस आदि का स्वयं क्रेता ट्रस्ट ने ही वहन किया है ।

खसरा संख्या 38 की रकबा 0.6500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.1350 हैक्टर एवं खसरा संख्या 39 की रकबा 2.1500 हैक्टर में से एक भाग आराजी रकबा 0.0250 हैक्टर यानि कि दोनों खसरा नम्बरान में से कुल आराजी रकबा 0.1600 हैक्टर (दक्षिणी साईड में पूर्व-पश्चिम के मध्य की) वाके ग्राम देवली अरब पटवार मण्डल देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

पूरब	:	शेष भाग आराजी खसरा संख्या 38
पश्चिम	:	शेष भाग आराजी खसरा संख्या 39
उत्तर	:	आराजी खसरा संख्या 30
दक्षिण	:	शेष भाग आराजी खसरा संख्या 38 व 39

हस्ताक्षर क्रेता- हस्ताक्षर विक्रेता-

उप पंजीयक प्रथम कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 600670

06 JAN 2010

:: 6 ::

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रय पत्र तादादी 5,00,000/– रूपये का स्टाम्प कीमती 20000/–, 20000/–, 15000/–, 10000/–, 5000/–, 5000/–, 5000/–, 5000/–, 5000/– रूपये कुल किता 9 जुमला 90,000/– रूपये पर तहरीर है ।

तहरीर दस्तावेज दिनांक :– 21-01-2010

प्रारूपकार :– सत्य प्रकाश पाठक, डीडराइटर, कोटा राज०

लाO नंO 75 रजिO नंO

21/01/010

साक्षी 1–

हस्ताक्षर विक्रेता–

साक्षी 2–

हस्ताक्षर क्रेता–

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 600671

06 JAN 2010

यह स्टाम्प दस्तावेज विक्रय पत्र तादादी 5,00,000/– रूपये का स्टाम्प कीमती 90,000/– रूपये के साथ वास्ते तकमील संलग्न है ।

हस्ताक्षर–क्रेता हस्ताक्षर–विक्रेता

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 600672

कोषाधिकारी
06 JAN 2010

:: ४ ::

यह स्टाम्प दस्तावेज विक्रय पत्र तादादी 5,00,000/– रूपये का स्टाम्प कीमती 90,000/– रूपये के साथ वास्ते तकमील संलग्न है ।

हस्ताक्षर–क्रेता हस्ताक्षर–विक्रेता

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

600673

0066 JAN 22 2010

:: 9 ::

यह स्टाम्प दस्तावेज विक्रय पत्र तादादी 5,00,000 / – रूपये का स्टाम्प कीमती 90,000 / – रूपये के साथ वास्ते तकमील संलग्न है ।

हस्ताक्षर–क्रेता हस्ताक्षर–विक्रेता

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)